Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to revise the eligibility criteria for various posts in central PSUs in accordance with the notification of national skills qualification framework

श्री विजय बघेल (दुर्ग): सभापति महोदय, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एन एस क्यू एफ) अधिसूचना भारत के गजेटियर भाग I, खण्ड 2 संख्या 19, नई दिल्ली, दिन शुक्रवार, दिनांक 27 दिसंबर 2013 की मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्र. 16-17 के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने की तीसरी वर्षगांठ के पश्चात भारत सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती नियम एन एस क्यू एफ के स्तरों के अनुसार सभी पदों हेतु पात्रता मानदंड स्पष्ट करने के लिए संशोधित किये जाने का प्रस्ताव था, जो अभी तक लंबित है, जिस वजह से कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त युवाओं को भर्ती हेतु निकाले जाने वाले पदों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः मैं समस्त मंत्रालय के माननीय मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि दर्शित नियम का अनुपालन कड़ाई से करने हेतु समस्त मंत्रालयों को तत्काल निर्देशित किया जाये ताकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से हो सके ।

माननीय सभापति : श्री छतर सिंह दरबार - उपस्थित नहीं ।

श्री रामदास तड़स - उपस्थित नहीं ।

श्री अजय निषाद - उपस्थित नहीं ।

श्री भोला सिंह ।